

प्रेसनोट दिनांक 30.05.2023

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री ओमनयन मिश्र पुत्र तुलसीराम मिश्र नि० बैष्णोनगर कालोनी थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोबाइल चोरी कर लेना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 325/23 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री प्रतिक शुक्ला पुत्र स्व० दिनेश नि० कन्धारीबाजार थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पीयूष श्रीवास्तव पुत्र अज्ञात अज्ञात आदि 22 नफर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादी को मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 326/23 धारा 147, 323 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री पीयूष श्रीवास्तव पुत्र स्व० प्रेमचन्द्र नि० लालबाग थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि प्रतीक शुक्ला पुत्र अज्ञात नि० अज्ञात आदि 06 नफर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 327/23 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी राजकुमार पुत्र स्व० बच्चूलाल नि० करम अली का पुरवा थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 बीएस 0958 का चालक नाम पता अज्ञात अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी पत्नी को टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 181/23 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी हरिभजन पुत्र रामसुन्दर नि० रामदत्तपुर थाना को०अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश पाण्डेय पुत्र रामसूरत पाण्डेय नि० अज्ञात अभि० द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर वादी के वाहन में टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 316/23 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्रीमती बिन्दु सिंह पत्नी जंगबहादुर सिंह नि० सप्तसागर कालोनी थाना को०अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि घनश्याम दास पुत्र अज्ञात नि० अज्ञात। आदि 05 नफर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादिनी व परिजन को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा कपड़े फाड़ देना व गम्भीर चोटे आना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 317/23 धारा 147, 323, 504, 506, 325, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री महादेव यादव पुत्र हरिप्रसाद नि० रामफकीर का पुरवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर अज्ञात चोर द्वारा वाद की मो०सा० यूपी 42 एक्कू 1807 चोरी कर लेना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 318/23 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री श्रवण कुमार पुत्र श्यामसुन्दर नि० नासिरपुर मूसी बिलारी थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एएक्स 9911 का चालक नाम पता अज्ञात अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के वाहन में टक्कर मार देना जिससे घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 252/23 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी सुषमा गौड़ पुत्री रमिन्त कुमार गौड़ नि० महारानी का पुरवा अलावलपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विनय कुमार पुत्र राजबहादुर वर्मा नि०महारानी का पुरवा अलावलपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या। आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा दीवाल निर्माण की बात को लेकर वादिनी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 253/23 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्रीमती सोनल तिवारी पत्नी राजेश तिवारी नि० श्रीरामजन्म पाण्डेय का पुरवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादिनी के पिता को टक्कर मार देना जिससे घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 254/23 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी उजाला वर्मा पुत्री राजबहादुर वर्मा नि० महारानी का पुरवा अलावलपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुषमा पुत्री रमिन्त कुमार गौड़ नि० महारानी का पुरवा अलावलपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या। आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादिनी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 255/23 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी उ०नि० श्री सतीशचन्द्र थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राहुल पुत्र अगनू नि० पाली अचलपुर थाना तारून अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से चोरी के 03 अदद मोबाइल फोन बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 122/23 धारा 411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री अश्वनी सिंह पुत्र अनिल सिंह नि० ठेउंगा थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजमणि पुत्र अजीत सिंह नि० ठेउंगा थाना रौनाही अयोध्या। आदि 05 नफर

अभि०गण द्वारा वादी व परिजन को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए ईट गुमा चलाकर मारना पीटना तथा रास्ते में रोककर आम का फल तोड़ देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 234/23 धारा 147, 323, 336, 341, 427, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी सुरेशदत्त पाण्डेय नि० सराय खरगी थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दामोदर पाण्डेय पुत्र उमादत्त नि० सराय खरगी थाना को०बीकापुर अयोध्या।आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादिनी के घर में घुसकर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा वादिनी की पुत्री को गलत निगाह से देखना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 266/23 धारा 323, 452, 506, 509 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री आनन्द कुमार जायसवाल पुत्र स्व० राधेश्याम नि० बैतीकला थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गिरीश जायसवाल पुत्र स्व० रामसुन्दर नि० बैतीकला थाना हैदरगंज अयोध्या। अभि० द्वारा वादी को पैसे की बात को लेकर मारना पीटना जिससे बेहोश हो जाना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 96/23 धारा 323, 308 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्रीमती पुष्पा शुक्ला पत्नी नरेन्द्र शुक्ला नि० अगरवा पूरे बोधई शुक्ल का पुरवा थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गायत्री पत्नी स्व० सुरेन्द्र शुक्ला नि० अगरवा पूरे बोधई शुक्ल का पुरवा थाना इनायतनगर अयोध्या।आदि 05 नफर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादिनी व परिजन को जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 240/23 धारा 147, 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री अजय कुमार यादव पुत्र पारसनाथ नि० कदनपुर थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि इन्द्रजीत यादव पुत्र आशाराम नि० कदनपुर थाना इनायतनगर अयोध्या।आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 241/23 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री दीपक कुमार पाण्डेय पुत्र पारसनाथ नि० गोठवारा थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पवन कुमार पुत्र रामबहाल सिंह नि० गोठवारा थाना इनायतनगर अयोध्या।आदि 02 नफर व 03-04 व्यक्ति अज्ञात अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर वादी व परिजन को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 242/23 धारा 147, 323, 504, 506, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्री रामशंकर उपाध्याय पुत्र साईबक्श नि० ताजपुर थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दीनदयाल पुत्र रामबरन नि० ताजपुर थाना खण्डासा अयोध्या।आदि 10 नफर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादी का दिवाल गिरा देना व जानमाल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 101/23 धारा 147, 427, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 29.05.23 को वादी श्रीमती बेटना पत्नी भिखई नि० चिरौली थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि भिखई पुत्र अज्ञात नि० चिरौली थाना खण्डासा अयोध्या।आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादिनी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 102/23 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।